

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:- APS/AD/DLB/2023/318

दिनांक:- 29-05-2023

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.2(घ)(226) (निल.)आरएमएस(जांच)/डीएलबी/2023/984
दिनांक 02.03.2023 के द्वारा श्रीमती अनिता खीचड, आयुक्त को निलम्बित किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं.
3658/2023 अनिता खीचड बनाम राजस्थान सरकार मे पारित आदेश दिनांक 02.05.2023 मे उक्त
निलम्बन आदेश को स्टे किया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना मे श्रीमती अनिता खीचड, आयुक्त को
एतव द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित से बहाल किया जाकर उनका पदस्थापन अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका, लाडनूं के रिक्त पद पर किया जाता है।

उक्त कार्मिक को आगामी वेतन नवपदस्थापित निकाय से देय होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।




निदेशक

दिनांक:- 29-05-2023

क्रमांक:- APS/AD/DLB/2023/319-326

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. जिला कलक्टर, नागौर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
05. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. अध्यक्ष, अधिशाषी अधिकारी, लाडनूं।
07. श्रीमती अनिता खीचड।
08. सुरक्षित पत्रावली।



निदेशक